छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 एच.डी.पी.ई. एक भरती प्लास्टिक बोरी निविदा दस्तावेज

निविदा फार्म का मूल्य
1500/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

डनेज के रूप में उपयोग हेतु एक भरती प्लास्टिक (एच.डी.पी.ई) बोरी साईज 30''X19'' इंच

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14

फार्म नंबर.....

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री.....
		.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	श्री.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम	.....
	एवं पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर	.....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1500.00/– (वाणिज्यिक कर सहित)
		(अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)
6.	निविदा फार्म क्रय/डाऊलोड की जानकारी	मनी रसीद नं./डी. डी. नंबर .....
		दिनांक .....
		बैंक का नाम .....
7.	निविदा जमा करने का दिनांक	दिनांक / /2013 को
	एवं समय	दोपहर .....बजे तक
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक,	दिनांक / /2013 को अपरान्ह.....बजे
	समय एवं स्थान	स्थान – कार्यालय जिला विपणन अधिकारी
		.....(छ.ग.)

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बॉक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 22 तक है।
4. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउन लोड कर नहीं भरे जायेंगे, सिर्फ जिला विपणन कार्यालय से क्रय निविदा दस्तावेज में ही निविदा भरकर प्रस्तुत की जावें।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। संग्रहण केन्द्रों में धान को सुरक्षित भण्डारण हेतु डनेज के रूप में (एच.डी.पी.ई) बोरी 30"X19" साईज में भूसा भरकर धान के स्टेक के नीचे दो लेयर में बछाई जाती है इस हेतु साफ–सुथरी एक भरती की 30"X19" की बोरी की आवश्यकता हेतु संग्रहण केन्द्रवार खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न है:–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' जिलेवार, संग्रहण केन्द्रवार अनुमानित (एच.डी.पी.ई) बोरी की आवश्यकता एवं जमा करने योग्य अमानत राशि।
   - (VI) परिशिष्ट '6' सत्य निश्ठा संधि का प्रारूप।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (एच.डी.पी.ई) बोरी 30"X19" साईज की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अकों एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित संग्रहण केन्द्र के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस (एच.डी.पी.ई) बोरी 30X19 साईज क्रय निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार को निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्ण भरा जाना है।
7. नेट से निविदा निकालकर प्रस्तुत करने की स्थिति में अनुबंध के समय एक नये निविदा फार्म में सील सहित हस्ताक्षर कर सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ठ –1

निविदा निर्देश एवं मार्ग दर्शक सूचनाएं

निविदाकार जिनके द्वारा छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय से संबंधित संग्रहण केन्द्रों में डनेज हेतु उपयोगी एक भरती साफ–सुथरी एच.डी.पी.ई. 30"X19" साईज की बोरी की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। उन्हें निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो को भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश एवं शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जानेवाली संविदा के भाग/अंग माने जावेगे।

1. विपणन संघ के द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. जिस जिले हेतु निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय किया जावें ।
3. तकनीकी लिफाफा में निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जाएगा, अतः तकनीकी लिफाफा में निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :–
   - (I) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   - **(II) आयकर पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति**
   - **(III) विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट।**
   - (IV) 6 नग एक भरती उपयोगी निर्धारित साईज की बोरी का नमूना।
   - (V) निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ठ '5' संग्रहण केंद्र की सूची के समक्ष संग्रहण केंद्रों में लगने वाले अनुमानित बोरो की संख्या दर्शित है, जिसके समक्ष अमानत राशि अंकित की गई है, का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (संबंधित जिला) के नाम पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
   - (VI) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में विगत दो वर्षो का एच.डी.पी.ई बोरी आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र।
   - (VII) आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत वर्ष के आयकर विवरण।
4. निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय जिला विपणन अधिकारी छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. जिला ..... में निर्धारित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।
5. निविदा जिले के संग्रहण केन्द्रवार आपूर्ति हेतु स्वीकार की जावेगी। संबंधित जिले के निविदा फार्म में उक्त जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों की दरें भरी जा सकती है।
6. खाली एच.डी.पी.ई. बोरियां साफ सुथरी झड़ाई हुई साबुत एक भरती उपयोगी ही स्वीकार की जायेगी।
7. कटी–फटी/अनुपयोगी/गीली/गन्दी बोरियां स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी बोरियां प्रदायक को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
8. बोरियों की साईज एच.डी.पी.ई. की बोरी का 30''**X**19'' का होना चाहिए।

9. दरें गन्तव्य संग्रहण केन्द्र पहुंचाकर समस्त कर सहित दी जावेगी। आपूर्ति की गई एक भरती प्लास्टिक बोरियों की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र से मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।

10. न्यूनतम प्राप्त दर के निविदाकार (एल–1) से कमेटी द्वारा दर कम करने हेतु निगोशियेशन भी किया जा सकता है। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।

11. निविदा के साथ संलग्न संग्रहण केंद्र की सूची के समक्ष संग्रहण केंद्रों में लगने वाले अनुमानित बोरो की संख्या दर्शित है, जिसके समक्ष अमानत राशि अंकित की गई है, का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ निविदाकर्ता को छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (संबंधित जिला) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। यह राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक अनुमानित प्लास्टिक बोरी मात्रा के समक्ष दर्शित है। एक ही जिले के एक से अधिक संग्रहण केन्द्र हेतु आवेदन करने पर एक ही डिमांड ड्राफ्ट में संयुक्त अमानत राशि दी जा सकती है। बिना डिमांड ड्राफ्ट के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राशि एफ.डी.आर., टी.डी.आर. अथवा नगद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. आलू/प्याज/लहसून/नमक की बोरियां स्वीकार नहीं की जावेगी।

13. वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

14. सफल निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये डनेज सामग्री के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।

15. सफल निविदाकार को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करना होगा।

16. सफल निविदाकार (प्रदायक) को प्रदाय आदेश जारी करने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा में बोरियों की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। बोरियों की आपूर्ति संबंधित जिले के भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृत दर पर की जावेगी। भारतीय खाद्य निगम को एक भरती उपयोगी बोरियां आपूर्ति हेतु अन्य दर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित बोरियां संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा।

17. स्वीकृत निविदाकार द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक बोरियां स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। निविदाकार द्वारा प्लास्टिक बोरियां मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहिन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्षों हेतु काली सूची में डाला जा सकता है।

18. **सफल निविदाकार को विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।**

19. सफल निविदाकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान सफल निविदाकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।

20. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा।

21. किसी संग्रहण केन्द्र पर कोई निविदा न आने या स्वीकृत न होने एवं भविष्य में नवीन केन्द्र की स्थापना होने पर दूरी की दृष्टि से निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी कार्य दिया जा सकता है, यह निकटतम केन्द्र उसी जिले का अथवा अन्य जिले का हो सकता है। अन्यथा स्थिति में कंडिका की शर्ते लागू होंगी।

22. निविदाकर्ता को **HDPE** बोरी प्रदाय करने में समस्त प्रकार के लगने वाले टैक्स स्वयं वहन करना होगा।

23. सभी निविदाकारों को तकनीकी बिड के साथ 5 नग एक भरती उपयोगी बोरी का नमूना हस्ताक्षरयुक्त जमा करना होगा।

24. सफल निविदाकार को अमानत राशि के अतिरिक्त समतुल्य धरोहर राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में 3 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमा अमानत राशि एवं धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

25. सफल निविदाकर को विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी के आदेश पर आपूर्ति किये गये प्लास्टिक बोरी के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व इसकी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गई बोरी किन श्रोतो से कितनी–कितनी मात्रा प्राप्त की गई है अथवा क्रय की गई है।

26. निविदाकर्ता को संग्रहण केंद्रों केा बोरी आपूर्ति करते समय प्रति बंडल में 100 नग बोरी का बंडल बनाकर पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

27. असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

28. सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 3 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

29. पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज में जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

30. **वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 1)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।**

परिशिष्ठ – 2

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,मुख्यालय–रायपुर

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

डनेज के रूप में उपयोग हेतु एक भरती प्लास्टिक (एच.डी.पी.ई) बोरी साईज 30"X19" हेतु तकनीकी लिफाफा बाबत्

निविदा फार्म

निविदाकर्ता के वर्तमान का फोटो स्वाप्रमाणित

1.	निविदाकार का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)			
2.	निविदाकार के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता			
3.	जिले का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है			
4.	निविदाकार/फर्म का दूरभाष कमांक/मोबाईल नं.			
5.	वाणिज्य कर/विकय कर के वैध पंजीयन कमांक एवं वैधता दिनांक (संलग्न करें)	1. केन्द्रीय		
		2. राज्य		
6.	सामग्री का नाम जिसके लिए दर दी जा रही है			नमूने के 6 नग पृथक से जमा करें
7.	साईज			
8.	मात्रा			
9.	स्पेशिफिकेशन			
10.	अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण	1. ड्राफ्ट कमांक		
		2. दिनांक		
		3. बैंक का नाम		
		4. राशि रूपये		
11.	निविदा फार्म कय/डाउनलोड का विवरण	मनी रसीद नं./डी.डी. कमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम.....		
		राशि 1500/– रूपये (वाणिज्य कर सहित)		
12.	अन्य विवरण यदि कोई हो			

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

परिशिष्ठ – 3

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... **दिनांक.....**

डनेज के रूप में उपयोग हेतु उपयोगी एच.डी.पी.ई बोरी साईज 30''X19'' दर प्रस्तुत करने हेतु

प्रेषक,

..... (निविदाकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)
.....
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा एच.डी.पी.ई बोरी कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला विपणन अधिकारी, जिला .....में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निविदा निर्देशों/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

जिले का नाम :– .....

(जिस जिले के संग्रहण केन्द्र हेतु निविदा भरी जा रही है)

क.	संग्रहण केन्द्र का नाम	दर प्रति नग (अकों में एवं शब्दों में)	मात्रा नग में	अमानत राशि
1		रू. ( )		
2		रू. ( )		
3		रू. ( )		
4		रू. ( )		
5		रू. ( )		
6		रू. ( )		
7		रू. ( )		
8		रू. ( )		
9		रू. ( )		
10		रू. ( )		

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ – 4

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .....को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है, की ओर से जिला विपणन अधिकारी (पक्षकार क्रमांक1) तथा मेसर्स..... .....कि ओर से श्री/श्रीमती ..... (पक्षकार क्रमांक 2) जो उसके मालिक/भागीदार/संचालक/अधिकृत उत्तराधिकारी है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा एक बार उपयोग में लाये गये एवं स्वच्छ साफ सुथरी खाली एच.डी.पी. ई. बोरियां जिनका नाप (30''x19'') है तथा निविदा सूचना क्रमांक .....दिनांक ..... के मापदण्ड के अनुसार है। जिसका मूल्य रू. ..... प्रतिनग है के क्रय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

चूंकि पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा आफर किये गये मूल्य रू. ..... प्रतिनग को पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अतः यह इकरारनामा निम्नानुसार शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है –

1. खाली एच.डी.पी.ई. बोरियां साफ सुथरी झड़ाई हुई साबुत एक भरती उपयोगी ही स्वीकार की जायेगी।
2. कटी–फटी/गन्दी बोरियां स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी बोरियां प्रदायक को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
3. बोरियों की साईज (एच.डी.पी.ई.) 30''**X** 19'' का होना चाहिए।
4. दरें गन्तव्य संग्रहण केन्द्र पहुंचाकर समस्त कर सहित है। आपूर्ति की गई एक भरती प्लास्टिक बोरियों की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र में मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।
5. आलू/प्याज/लहसून/नमक की बोरियां स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. पक्ष क्रमांक–2 द्वारा आपूर्ति किये गये डनेज सामग्री के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।
7. पक्ष क्रमांक–2 को प्रदाय आदेश जारी करने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा में बोरियों की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। बोरियों की आपूर्ति संबंधित जिले के भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृत दर पर की जावेगी। भारतीय खाद्य निगम को एक भरती उपयोगी बोरियां आपूर्ति हेतु अन्य दर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित बोरियां संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा।
8. पक्ष क्रमांक–2 द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक बोरियां स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। पक्ष क्रमांक–2 द्वारा प्लास्टिक बोरियां मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहीन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्षों हेतु काली सूची में डाला जा सकता है।

9. पक्ष क्रमांक–2 के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान पक्ष क्रमांक–2 द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।

10 पक्ष क्रमांक–2 को संग्रहण केंद्रों केा बोरी आपूर्ति करते समय प्रति बंडल में 50 नग बोरी का बंडल बनाकर पूर्ति करना होगा।

11. किसी संग्रहण केन्द्र पर कोई निविदा न आने या स्वीकृत न होने एवं भविष्य में नवीन केन्द्र की स्थापना होने पर दूरी की दृष्टि से निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी कार्य दिया जा सकता है, यह निकटतम केन्द्र उसी जिले का अथवा अन्य जिले का हो सकता है। उक्त स्थिति में अनुबंध की कंडिका की समस्त शर्ते यथावत् लागू होगी।

12. पक्ष क्रमांक–2 से अनुबंधित दर समस्त कर सहित है, अन्य भी स्थिति में देय नहीं होगा।

13. पक्ष क्रमांक–2 को विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी के आदेश पर आपूर्ति किये गये प्लास्टिक बोरी के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व इसकी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गई बोरी किन श्रोतो से कितनी–कितनी मात्रा प्राप्त की गई है अथवा क्रय की गई है।

14. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

15. **वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 1)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।**

यदि निविदा सूचना, निविदा निबंधनों के किसी भी नियमों शर्तो का किसी भी नियमों एवं शर्तो को प्रदायक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि निविदा स्वीकृति आदेश को निरस्त करे तथा नया निविदा आमंत्रित कर या आवश्यक बोरियां खुले बाजार से वर्तमान दर पर क्रय करे तथा इस वजह से विपणन संघ को हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित प्रदायक से करें एवं दो वर्ष के लिए काली सूची में डालें।

उपरोक्त इकरारनामा दोनो पक्षों द्वारा ऊपर दर्शाया गया दिनांक..... को में दोनों पक्षों के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर
प्रदायक का नाम एवं पता
(कार्यालय सील)

हस्ताक्षर
जिला विपणन अधिकारी

साक्षीः– हस्ताक्षर

नाम व पता .....

साक्षीः– हस्ताक्षर

नाम व पता .....

खरीफ वर्ष 2013–14 में संग्रहण केन्द्रवार अनुमानित भंडारण हेतु प्लास्टिक बोरी हेतु (डनेज हेतु) आवश्यकता का पत्रक

धान की मात्रा मे. टन में बोरी नग में

क	जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम		भण्डारित मात्रा	स्टेक की संख्या प्रति स्टेक 120 टन	अनुमानित प्लास्टिक बोरी की संख्या 650 नग प्रति स्टेक	अमानत एवं सुरक्षानिधि की राशि
1	कवर्धा	1	बाजार चार भांटा	43297	361	234525	46905
	योग			**43297**	**361**	234525	**46905**
2	कांकेर	2	कांकेर	8765	73	47477	9495
		3	भानुप्रतापपुर	8722	73	47244	9449
		4	लखनपुरी	58993	492	319545	63909
	योग			**76480**	**637**	414267	**82853**
3	कोरबा	5	कटघोरा	7593	63	41129	8226
		6	डोगरी भांठा	14415	120	78081	15616
	योग			**22008**	**183**	119210	**23842**
4	गरियाबंद	7	कुडेलभाटा	71610	597	387888	77578
	योग			**71610**	**597**	387888	**77578**
5	जशपुर	8	पत्थलगांव	44243	369	239650	47930
	योग			**44243**	**369**	239650	**47930**
6	जांजगीर	9	अकलतरा 2 मुलमुला	59931	499	324626	64925
		10	कृषि उपज मंडी चांपा	31396	262	170062	34012
		11	बोडा सागर	36509	304	197757	39551
		12	बोडा सागर 2 (सेरो)	41248	344	223427	44685
		13	मंडी प्रागण सक्ती	50995	425	276223	55245
		14	मनोहरभाठा जांजगीर	0	0	0	0
		15	मिल प्रागण जांजगीर	106516	888	576962	115392
		16	शा. भूमि अकलतरा	75653	630	409787	81957
		17	शा. भूमि डभरा	44230	369	239579	47916
		18	सक्ती 2 (जेठा)	24351	203	131901	26380
	योग			**470829**	**3924**	2550324	**510065**
7	दंतेवाडा	19	गीदम	9481	79	51355	10271
	योग			**9481**	**79**	51355	**10271**

8	दुर्ग	20	करंजा भिलाई +बासीन	68956	575	373512	74702
		21	कौडिया	105208	877	569877	113975
		22	जेवरा–सिरसा	30284	252	164038	32808
		23	सेलूद फड़	134246	1119	727166	145433
	योग			**338694**	**2822**	1834593	**366919**
9	धमतरी	24	चिटौद	116236	969	629612	125922
		25	नगरी सिहावा	18158	151	98356	19671
		26	भाखारा	23639	197	128045	25609
		27	भाठागांव (कुरूद)	90540	755	490425	98085
		28	भोयना	78977	658	427792	85558
	योग			**327550**	**2730**	1774229	**354846**
10	बेमेतरा	29	बीजाभांठा	54425	454	294802	58960
		30	लेजवारा (सरदा)	58886	491	318966	63793
	योग			113311	944	613768	**122754**
11	बलौदा–बाजार	31	कसडोल	30443	254	164900	32980
		32	ब. बाजार	154170	1285	835088	167018
		33	भटगांव	17615	147	95415	19083
		34	भांटापारा	75092	626	406748	81350
	योग			**277320**	**2311**	1502150	**300430**
12	बस्तर	35	जगदलपुर	41814	348	226493	45299
	योग			**41814**	**348**	226493	**45299**
13	बालोद	36	जगतरा फड़	125891	1049	681910	136382
		37	फुंडा भांटा	70617	588	382509	76502
		38	माली घोरी	59828	499	324068	64814
	योग			**256336**	**2136**	1388487	**277697**
14	बिलासपुर	39	पेड्रा रोड	26693	222	144587	28917
		40	बिल्हा	46204	385	250272	50054
		41	भरनी भांटा	61946	516	335541	67108
		42	मस्तुरी	0	0	0	0
		43	मोपका	93333	778	505554	101111
		44	सेमरताल	33741	281	182764	36553
	योग			**261917**	**2183**	1418717	**283743**
15	मुगेली	45	मुंगेली	49612	413	268732	53746
		46	लोरमी	35806	298	193949	38790
	योग			**85418**	**712**	462681	**92536**
16	महासमुंद	47	पिथौरा	56838	474	307873	61575
		48	बसना	56120	468	303983	60797
		49	बागबाहरा	94670	789	512796	102559
		50	महासमुंद	137917	1149	747050	149410
		51	सरायपाली	49161	410	266289	53258

	योग			**394706**	**3289**	2137991	**427598**
17	राजनांदगांव	**52**	कलकसा	26393	220	142962	28592
		53	घोटिया	16861	141	91330	18266
		54	ठेलकाडीह	78876	657	427245	85449
		55	तिलई	46159	385	250028	50006
		56	नागरकोहरा+ कलकसा	44442	370	240728	48146
		57	बांधाबाजार	25660	214	138992	27798
		58	मदुराकुेही	24512	204	132773	26555
		59	सिंघौला	39983	333	216575	43315
	योग			**302886**	**2524**	1640633	**328127**
		60	कोड़ातराई हवाई पटटी	34361	286	186122	37224
18	रायगढ़	**61**	खरसिया	31017	258	168009	33602
		62	बरमकेला	39963	333	216466	43293
		63	मेडिकल कां.ग्रा. लोहरसिंग	89209	743	483215	96643
		64	हरदी	130302	1086	705803	141161
	योग			**324852**	**2707**	1759615	**351923**
19	रायपुर	**65**	अभनपुर	54093	451	293004	58601
		66	कुरूदभाठा लखौली	32493	271	176004	35201
		67	खरोरा	0	0	0	0
		68	जौदा राजिम	164445	1370	890744	178149
		69	तिल्दा	266452	2220	1443282	288656
		70	धरसीवा	44751	373	242401	48480
		71	लखौली	149312	1244	808773	161755
	योग			**711546**	**5930**	3854208	**770842**
20	सरगुजा	**72**	अंबिकापुर	44572	371	241432	48286
		73	सीतापुर	16321	136	88405	17681
	योग			**60893**	**507**	329837	**65967**
21	सूरजपूर	**74**	सूरजपूर	47530	396	257454	51491
	योग			**47530**	**396**	257454	**51491**
22	कोडागांव	**75**	कोडागांव	4937	41	26742	5348
	योग			**4937**	**41**	26742	**5348**
महायोग				**4287658**	**35730**	**23224814**	**4644963**